संख्याः नि0 2070/3–5 (वनों की सुरक्षा)

प्रेषक,

जीवन चन्द्र जोशी,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

वेबसाइट www.forest.uk.gov.in/
फोन/फैक्सः–0135–2741607, 2742641
ई–मेलः–ccfpfmua@gmail.com

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

(F.F.h.c)

देहरादूनः दिनांकः 15 मार्च, 2022

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 में वन विभाग के अनुदान सं0–27 की राज्य सैक्टर योजना "2406–01–101–08–00–वनो की सुरक्षा" के अन्तर्गत शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :– शासनादेश संख्या 1406/X–2–2021–12(32)2012 दिनांक 15जुलाई,2021(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

महोदय,

उक्त सन्दर्भित शासनादेश एवं उसके साथ संलग्न अलॉटमेंट आई.डी.S20070270008 दिनांक 13.07.2021 से वित्तीय वर्ष 2021–22 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य सैक्टर योजना "2406–01–101–08–00–वनों की सुरक्षा" के अन्तर्गत शासन से अवमुक्त/जारी की गयी धनराशि ₹3,50,00,000/–(₹तीन करोड़ पचास लाख मात्र) के सापेक्ष विभाग के आहरण वितरण अधिकारियों को पूर्व में अवमुक्त/जारी की गयी धनराशि ₹3,36,50,000/– (₹तीन करोड़ छत्तीस लाख पचास हजार मात्र) के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष द्वारा वर्तमान में जारी किये जाने हेतु अनुमोदित की गयी धनाराशि ₹13,50,000/– (₹तेरह लाख पचास हजार मात्र) का विभाग के आहरण वितरण अधिकारी–प्रभागीय वनाधिकारी,देहरादून वन प्रभाग,देहरादून को IFMS पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन बजट निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ आवंटन करते हुये प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती है:–

1–समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2–मानक मद 52–लघु निर्माण कार्य में आवंटित धनराशि से प्रस्तावित निर्माण कार्यो में से किसी भी कार्य की लागत ₹20.00 लाख से अधिक न हो तथा वृहद निर्माण की लागत ₹20.00 लाख से कम करने के लिए उसके टुकड़े न किये जाए। कार्य करने से पूर्व वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन के अनुसार सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी अन्यथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

3–छोटे कार्यो(पेटी वर्क्स),लघु कार्यो(माइनर वर्क्स) की लागत सीमा में वृद्धि कये जाने के फलस्वरूप मानक मद 52–लघु निर्माण कार्य के अर्न्तगत कराये जाने वाले कार्यो हेतु उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या–323//XXVII(7)/19-50(7)/2019 दिनांक 20.09.2019 में दिये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4–अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तद्नुसार उक्त मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी। मितव्ययता हेतु बनायी गयी स्पष्ट योजना से शासन को अवगत कराया जायेगा।

5–अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें एवं ऐसे कार्य न कराए जिन हेतु राज्य सैक्टर में अलग से योजना उपलब्ध है, यदि योजना से इतर कार्यो को कराना पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।

6–कार्यो को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।

7–अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल),उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमैंट) नियमावली 2017, सूचना प्रौद्यौगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8–निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त सक्षम स्तर से वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।

9–आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

10–बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।

–2/–

11—आवंटित / जारी धनराशि के सापेक्ष मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी.एम.—4 में कार्यालयवार भरकर बिलम्बतम प्रत्येक माह की पहली तारीख तक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

12—संदर्भित शासनादेश एवं उक्त बिन्दु संख्या—1 से 11 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2021—22 में वनों की सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सक्षम स्तर / अपर प्रमुख वन संरक्षक,नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड से मुख्यालय स्थित फारेस्ट फायर स्टेशन के अनुरक्षण एवं अन्य कार्य हेतु निर्धारित भौतिक / वित्तीय लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

संख्याः नि0—2070 (1)/3—5 (वनों की सुरक्षा) तददिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड,देहरादून।
2— महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
3— अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4— अपर सचिव, वित्त अनुभाग—4,उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5— निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6— समस्त सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी ,उत्तराखण्ड,उत्तराखण्ड को **IFMS** पोर्टल के माध्यम से विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों से प्राप्त बिलों का नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।
7— प्रमुख वन संरक्षक(HoFF)उत्तराखण्ड, देहरादून।
8— मुख्य वन संरक्षक,गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
9—मुख्य वन संरक्षक,वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन,उत्तराखण्ड,देहरादून।
10— वन संरक्षक,शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून!
11—उप वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022)

HOD-Principal Chief Conservator of Forest(4260)

Treasury-Dehradun(0100)

DDO-DFO Dehradun Forest DivisionDehradun(4257)

आवंटन पत्र संख्या -Ni-2070/3-5

आवंटन आई डी-H22030270250

अनुदान संख्या-027

आवंटन पत्र दिनांक-15-MAR-2022

लेखा शीर्षक

2406-वानिकी तथा वन्य जीवन

01-Forestry

101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण

08-वनों की सुरक्षा योजना (2406-01-800-13 से स्थानान्तरित)

00-0

Voted

2	4	0	6	0	1	1	0	1	0	8	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
51-अनुरक्षण	700000	1350000	0	2050000
योग	700000	1350000	0	2050000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.13,50,000 (Rupees Thirteen Lacs Fifty Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2203:0250

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

वित्त नियंत्रक
वन विभाग
कार्यालय
पमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड
देहरादून